प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 379/2023
अनवान : –

1. दशरथ पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दलीप पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. जयसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. सतपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. कमला देवी पुत्री पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. इन्द्रा पुत्री पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
9. शाखा प्रबन्धक महोदय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक महोदय ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर।
11. शाखा प्रबन्धक महोदय एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 29.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 102/97 की कुल 8.0050 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 की माता परमेश्वरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी माता है। परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम का देहान्त हो चुका है परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम के जायज वारिसार सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 है जो परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीया स0 4 ता 7 जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक [illegible] है वादी एवं

प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 मृतक परमेश्वरी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर प्रत्येक 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा किंकराली खाता स0 102/97 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र परमेश्वरी उर्फ रामेश्वरी पत्नी सुरजाराम प्रदर्श–2, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–3, सरपंच ग्राम पंचायत किंकराली द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–4, आदि प्रदर्शित करवाए।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। उक्त वाद भूमि वादी की माता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी की माता परमेश्वरी का देहान्त हो चका है। परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है जो कि मृतक परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम का नाम कलमजन करवाकर उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 102/97 की कुल 3.0350 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 की माता परमेश्वरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, परमेश्वरी पत्नी

खण्ड अधिकारी (राज
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:14 IST
Reason: SelfAttested

सुरजाराम वादी की माता है। प्रदर्श 2 से स्पष्ट साबित है कि परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम का देहान्त हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत किंकराली द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण (प्रदर्श 3 व प्रदर्श 4) तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 7 द्वारा वाद के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है।: वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 102/97 की कुल 8.0050 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 379 / 2023
अनवान : –

1. दशरथ पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दलीप पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. जयसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. सतपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
6. कमला देवी पुत्री पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
7. इन्द्रा पुत्री पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
9. शाखा प्रबन्धक महोदय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
10. शाखा प्रबन्धक महोदय ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर।
11. शाखा प्रबन्धक महोदय एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 379 सन 2023 निर्णय दिनांक 29.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 102/97 की कुल 8.0050 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक परमेश्वरी पत्नी सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंक़न करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 29/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली